

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1)विभाग

क्रमांक प. 14(4)शिक्षा-1/श्रीगंगानगर/2014पार्ट

जयपुर, दिनांक 13-06-2016

:: आदेश ::

शिक्षा विभाग के अधीन संचालित कक्षा 6 से 10/12 के विद्यालयों में उनके आस-पास उसी स्थान पर संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को समन्वित कर कक्षा 1 से 10/12 के, समन्वित (एकीकृत) विद्यालयों की स्थापना की गयी। जिन माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परिसर में पर्याप्त स्थान उपलब्ध था एवं कक्षा 1 से 5/8 के विद्यार्थियों के लिये इन परिसरों में अध्ययन हेतु आना सुविधाजनक था, उन विद्यालयों में कक्षा 1 से 10/12 तक की समस्त कक्षाओं का संचालन एक ही परिसर में किया जा रहा है तथा अन्य समन्वित विद्यालयों में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन पृथक-पृथक भवनों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किया जा रहा है। परन्तु दोनों ही मामलों में समन्वित (एकीकृत) विद्यालय को एक ही प्रशासनिक इकाई मानते हुए संचालित किया जा रहा है। इस व्यवस्था के निम्नलिखित लाभ हुए हैं :-

- i. प्राथमिक कक्षाओं को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को समन्वित करने से इन कक्षाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक का हो गया। जिसके फलस्वरूप प्राथमिक कक्षाओं की बेहतर मॉनिटरिंग होने से विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है।
- ii. एकीकरण के फलस्वरूप इन विद्यालयों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में वर्ष 2015-16 में नामांकन में वृद्धि हुई है।
- iii. प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों का समग्र प्रशासनिक नियंत्रण समन्वित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्थाप्रधान के पास होने के फलस्वरूप शिक्षकों की उपस्थिति एवं शैक्षणिक कार्य में भी सुधार हुआ है।

श्रीगंगानगर जिले के वर्तमान में संचालित कक्षा 6 से 10, 6 से 12 तथा 9 से 12 के विद्यालयों को कक्षा 1 से 10/12 के विद्यालय में परिवर्तित करने के लिये कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित विद्यालय में कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित विद्यालय को **समन्वित** करते हुए कक्षा 1 से 10/12 तक के समन्वित (एकीकृत) विद्यालय गठित करने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :-

जिला-श्रीगंगानगर

क. राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में समन्वयन

क्र०स०	पंचायत समिति/ ब्लॉक	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम/ वार्ड नं०	राउमावि विद्यालय	समन्वित विद्यालय
1	2	3	4	5	6
1	गंगानगर	18 जेड	19 जेड	राउमावि 19 जेड	राप्रावि 17 जेड
2	सूरतगढ	जानकीदासवाला	जानकीदासवाला	राउमावि जानकीदास वाला	राउप्रावि जानकीदासवाला
3	सूरतगढ	निरवाणा	निरवाणा	राउमावि निरवाणा	राप्रावि निरवाणा
4	सूरतगढ	सरदारगढ	सरदारगढ	राउमावि सरदारगढ	राउप्रावि सरदारगढ
5	घडसाना	रावला मण्डी	रावला मण्डी	राउमावि रावलामण्डी	राप्रावि रावलामण्डी
6	घडसाना	रोजड़ी	रोजड़ी	राउमावि रोजड़ी	राप्रावि 10 आर जेडी
8	रायसिंहनगर	10 केएसडी	10 केएसडी	राउमावि 10 केएसडी	राप्रावि 9 केएसडी
9	रायसिंहनगर	सूरतगढ	20	राबाउमावि रायसिंहनगर	राबाउप्रावि धानक बस्ती
10	श्री करणपुर	अनूपगढ	20	राबाउमावि श्रीकरणपुर	राबाउप्रावि श्रीकरणपुर
11	अनूपगढ	अनूपगढ	17	राबाउमावि अनूपगढ	राबाउप्रावि अनूपगढ
12	अनूपगढ	अनूपगढ	03	राउमावि अनूपगढ	राप्रावि नं० 2 अनूपगढ
13	पदमपुर	पदमपुर	2	राबाउमावि पदमपुर	राप्रावि वार्ड नं०. 2 पदमपुर
14	पदमपुर	पदमपुर	20	राउमावि पदमपुर	राप्रावि सजना कॉलोनी वार्ड नं० 1
16	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	23	राउमावि श्री गंगानगर	राप्रावि नं० 4 शास्त्री बस्ती
17	रायसिंहनगर	रायसिंहनगर	22	राउमावि रायसिंहनगर	राउप्रावि नं० 03
18	सूरतगढ	सूरतगढ	1	राउमावि सूरतगढ	राउप्रावि नं० 2 सूरतगढ
19	सादुलशहर	सादुलशहर	7	राउमावि सादुलशहर	राउप्रावि नं० 2 सादुलशहर
20	सादुलशहर	सादुलशहर	17	राबाउमावि सादुलशहर	राबाउप्रावि सादुलशहर
21	श्री विजयनगर	श्री विजयनगर	04	राउमावि श्रीविजयनगर	राउप्रावि वार्ड नं. 6 श्रीविजयनगर
22	श्री करणपुर	श्री करणपुर	17	राउमावि श्रीकरणपुर	राउप्रावि वार्ड नं० 18 श्री करणपुर
23	पदमपुर	पदमपुर	10	राउमावि गजसिंहपुर	सेठ भगवानदास बाहेली वार्ड नं० 12 राउप्रावि गजसिंहपुर
24	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	13	राबाउमावि नं० 4 श्रीगंगानगर	दानदाता अनूपम धींगडा राबाउप्रावि

					नं० 4 श्रीगंगानगर
25	श्रीविजयनगर	रायसिंहनगर	10	राबाउमावि श्री विजयनगर	राबाउप्रावि नं० 2 श्री विजयनगर
26	सूरतगढ	सूरतगढ	17	राबाउमावि सूरतगढ	सूरजीदेवी राबाउप्रावि सूरतगढ
27	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	23	राउमावि श्रीगंगानगर	राप्रावि नं० 4 शास्त्री बस्ती श्री गंगानगर
28	सूरतगढ	भैरुपुरा सिलवानी	भैरुपुरा सिलवानी	रामावि भैरुपुरा सिलवानी	राप्रावि भैरुपुरा सिलवानी
29	सूरतगढ	पदमपुरा	पदमपुरा	रामावि पदमपुरा	राप्रावि पदमपुरा
30	पदमपुर	1 केके	1 केके	रामावि 1 केके	राप्रावि 1 केके
31	सूरतगढ	सूरतगढ	4	रामावि पु०आ० सूरतगढ	राप्रावि नं० 03
32	पदमपुर	रिणमलसर	रिणमलसर	राबामावि रिणमलसर	राप्रावि 61 एलएनपी
33	पदमपुर	सावतरसर	सावतरसर	राबामावि सावतरसर	राप्रावि 1 ईई
34	घडसाना	घडसाना	घडसाना	राबामावि घडसाना	राबाउप्रावि अमर कॉलोनी घडसाना

उपरोक्तानुसार एकीकृत राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन निम्न दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा:-

- समाहित विद्यालय का पृथक से कोई प्रशासनिक अस्तित्व नहीं रहेगा एवं समन्वित(एकीकृत) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय (समाहित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों सहित) का प्रशासनिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन रहेगा।
- एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक इन विद्यालयों के शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों के लिये पूर्ण रूप से अधिकृत एवं उत्तरदायी होंगे।
- एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में समाहित होने वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की समस्त परिसम्पतियां यथा भूमि, भवन, खेल मैदान, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, स्थायी एवं अस्थायी परिसम्पतियाँ, उपयोगी एवं अनुपयोगी सामग्री आदि का हस्तान्तरण समन्वित (एकीकृत) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में स्वतः ही हो जायेगा।
- एकीकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय की समस्त कक्षाएं (कक्षा 1 से 12 अथवा 1 से 10) यथा संभव एक ही भवन/परिसर में संचालित होंगी। यदि स्थान की अनुपलब्धता अथवा विद्यार्थियों की सुविधा की दृष्टि से समस्त कक्षाएं एक ही परिसर में संचालित किया जाना

संभव न हो तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक से स्वीकृति प्राप्त कर कक्षाओं का संचालन पृथक-पृथक परिसरों में किया जा सकता है। परन्तु कक्षा 1 से 12/1 से 10 कक्षा के एकीकृत विद्यालय की प्रत्येक कक्षा केवल एक ही परिसर में संचालित होगी, अर्थात् एक कक्षा दो परिसरों में पृथक-पृथक संचालित नहीं होगी।

- v. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में एकीकरण के उपरान्त कक्षा 1 से 12/1 से 10 संचालित होगी। यह व्यवस्था समान रूप से लागू होगी। उदाहरण के लिए अगर एकीकरण के अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 के विद्यालय में 1 से 5 के विद्यालय को ही समाहित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी एकीकृत विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में प्रवेश की व्यवस्था करते हुए 1 से 12 कक्षाएँ संचालित होगी।
- vi. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय यथासंभव एक पारी में संचालित होंगे विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में कक्षा-कक्षा की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में माध्यमिक शिक्षा निदेशक से स्वीकृति प्राप्त की जाकर विद्यालय का संचालन दो पारियों में किया जा सकेगा।
- vii. एकीकरण से पूर्व उच्च माध्यमिक/माध्यमिक तथा उनमें समाहित होने वाले उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय के नाम किसी दानदाता/शहीद सैनिक/स्वतंत्रता सेनानी आदि के नाम से होने की स्थिति में एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय के नामकरण के संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक प. 11(40)शिक्षा-6/05/पार्ट दिनांक 11.2.2016 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
- viii. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 22(6)शिक्षा-1/2002 दिनांक 30.4.2015 द्वारा जारी मानदण्डों के अनुसार स्वीकृत विद्यालयों के पदों की संख्या का निर्धारण कर माध्यमिक शिक्षा में अतिरिक्त पदों के सृजन एवं प्रारम्भिक शिक्षा में समाहित किये गये विद्यालयों के स्वीकृत पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जावेगा। पदों के सृजन के पश्चात नवसृजित पदों को राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के उप नियम 6(D) के तहत भरे जाने की कार्यवाही की जावेगी।
- ix. बिन्दु संख्या viii के अनुसार कार्यवाही सम्पादित होने तक समाहित किये गये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक एकीकृत विद्यालय में यथावत कार्य करते रहेंगे एवं उनके वेतन का आहरण पूर्वानुसार पंचायतीराज/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से होता रहेगा।

- x. समस्त एकीकृत विद्यालयों का संचालन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/मा/अ-1/आदर्श बी/21312/वो-112014 दिनांक 12.2.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।
- xi. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद एवं निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर उपरोक्तानुसार विद्यालयों के समन्वयन के आधार पर शाला दर्पण/शाला दर्शन में आवश्यक प्रविष्टि का कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से,
नाहर सिंह
(नाहर सिंह), 13/06/2016
शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपी : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, महोदय
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग
7. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर
8. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर
9. निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर
10. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर
11. संभागीय आयुक्त,
12. जिला कलक्टर,
13. संयुक्त/वरिष्ठ/उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/आयोजना/शिक्षा ग्रुप-2, 5, 6
14. शिक्षा उपनिदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक, संभाग
15. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय)
16. रक्षित पत्रावली

नाहर सिंह
13/06/2016
शासन उप सचिव, प्रथम